

अनुदान संख्या 1 - कृषि और किसान कल्याण विभाग
GRANT No. 1 - DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	115489,37,00		
		216357,90,00	203249,74,59	-13108,15,41
पूरक	Supplementary	100868,53,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			4878,00,00
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	42,42,00		
		87,72,00	40,58,31	-47,13,69
पूरक	Supplementary	45,30,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			30,60,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में समग्र बचतें (₹1310815.41 लाख) दिसम्बर, 2023 और फरवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹10086853.00 लाख के पूरक अनुदान का 13 प्रतिशत है और कुल स्वीकृत प्रावधान का 6 प्रतिशत है।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए:—

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹1310815.41 lakhs) constituted 13 percent of the supplementary grants of ₹10086853.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024 and 6 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services			
मू.	O.	23589.00		
पू.	R.	-6922.34	16666.66	16066.81
				-599.85
मुख्य शीर्ष "2401" फसल कृषि कर्म	Major Head "2401" Crop Husbandry			
मू.	O.	7137894.00		
पू.	S.	8039054.00	15924496.21	15663592.76
पु.	R.	747548.21		-260903.45
मुख्य शीर्ष "2402" मृदा और जल संरक्षण	Major Head "2402" Soil and Water Conservation			
मू.	O.	3660.00		
पू.	S.	212.00	3782.90	3291.74
पु.	R.	-89.10		-491.16
मुख्य शीर्ष "2416" कृषि वित्तीय संस्थायें	Major Head "2416" Agricultural Financial Institutions			
मू.	O.	2105000.00		
पू.	S.	1510000.00	3377998.36	2950385.18
पु.	R.	-237001.64		-427613.18
मुख्य शीर्ष "2435" अन्य कृषि कार्यक्रम	Major Head "2435" Other Agricultural Programmes			
मू.	O.	249866.00		
पू.	S.	553.00	247677.06	229491.48
पु.	R.	-2741.94		-18185.58

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष “2552” उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head “2552” North Eastern Areas			
मू.	O. 1155235.00	43356.38	..	-43356.38
पू.	S. 23677.00			
पु.	R. -1135555.62			
मुख्य शीर्ष “3601” राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head “3601” Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O. 832657.00	1517233.22	1449960.77	-67272.45
पू.	S. 513356.00			
पु.	R. 171220.22			
मुख्य शीर्ष “3602” विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	Major Head “3602” Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature			
मू.	O. 41036.00	16779.21	12185.85	-4593.36
पू.	S. 1.00			
पु.	R. -24257.79			

(I) चौतीस शीर्षों के अंतर्गत ₹1237125.10 लाख का प्रावधान (₹23677.10 लाख के पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹1236749.50 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹1237125.10 lakhs (including supplementary grant of ₹23677.10 lakhs) remained wholly unutilised under thirty four heads; of these ₹1236749.50 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “2435” - “अन्य-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना”- ₹20000.00 लाख - राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण।

(A) Major Head “2435” - “Others - Special Component Plan for Scheduled Castes - Rashtriya Krishi Vikas Yojna” - ₹20000.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from States.

(खा) मुख्य शीर्ष “2552” –	(B) Major Head “2552” -
(क) “अन्य कृषिगत कार्यक्रम – कृषि और संबद्ध क्षेत्र के विकास के लिए विशेष पहल” –	(a) “Other Agricultural Programmes - Special Initiatives for Development of Agriculture & Allied Sector” -
(i) “राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन” – ₹1399.00 लाख – प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण।	(i) “National Mission on Natural Farming” - ₹1399.00 lakhs - due to non-receipt of proposals.
(ii) “राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” – ₹48757.50 लाख (₹22200.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);	(ii) “Rashtriya Krishi Vikas Yojna” - ₹48757.50 lakhs (including supplementary grant of ₹22200.00 lakhs);
(ख) “फ़सल कृषिकर्म – विस्तार और कृषक प्रशिक्षण – कृषि उन्नति योजना” – ₹7400.00 लाख;	(b) “Crop Husbandry - Extension & Farmers’ Training - Krishonnati Yojna” - ₹7400.00 lakhs;
(ग) “फ़सल कृषिकर्म – खाद और उर्वरक – कृषि उन्नति योजना” – ₹10767.00 लाख; (₹1477.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);	(c) “Crop Husbandry - Manures & Fertilizers - Krishonnati Yojna” - ₹10767.00 lakhs (including supplementary grant of ₹1477.00 lakhs);
(घ) “फ़सल कृषिकर्म – व्यवसायिक फ़सलें – कृषि उन्नति योजना” – ₹25000.00 लाख;	(d) “Crop Husbandry - Commercial Crops - Krishonnati Yojna” - ₹25000.00 lakhs;
(ङ) “फ़सल कृषिकर्म – तिलहनों का विकास – कृषि उन्नति योजना” – ₹8121.00 लाख;	(e) “Crop Husbandry - Development of Oilseeds - Krishonnati Yojna” - ₹8121.00 lakhs;
(च) “फ़सल कृषिकर्म – बागवानी और सब्जियां – कृषि उन्नति योजना” – ₹22000.00 लाख;	(f) “Crop Husbandry - Horticulture & Vegetable Crops - Krishonnati Yojna” - ₹22000.00 lakhs;
(छ) “फ़सल कृषिकर्म – फ़सल बीमा – प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना (पी. एम. एफ़. बी. वाई.)” – ₹88936.00 लाख;	(g) “Crop Husbandry - Crop Insurance - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY)” - ₹88936.00 lakhs;
(ज) “फ़सल कृषिकर्म – किसानों की आय सहायता” –	(h) “Crop Husbandry - Farmers’ Income Support” -

- | | |
|---|--|
| (i) “प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पी. एम. किसान)” – ₹380000.00 लाख; | (i) “Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)” - ₹380000.00 lakhs; |
| (ii) “कृषि अवसंरचना निधि” – ₹4700.00 लाख। | (ii) “Agriculture Infrastructure Fund” - ₹4700.00 lakhs; |
| (झ) “फ़सल कृषिकर्म – तकनीकी उन्नयन – कृषि उन्नति योजना” – ₹3200.00 लाख; | (i) “Crop Husbandry - Technological Advancement - Krishonnati Yojna” - ₹3200.00 lakhs; |
| (ञ) “अन्य कृषि कार्यक्रम – विपणन सुविधायें” – | (j) “Other Agricultural Programmes - Marketing Facilities” - |
| (i) “किसान उत्पादक संघों का निर्माण और संवर्धन” – ₹9048.00 लाख; | (i) “Formation and Promotion of Farmers Producers Organizations” - ₹9048.00 lakhs; |
| (ii) “कृषोन्नति योजना” – ₹4700.00 लाख; | (ii) “Krishonnati Yojna” - ₹4700.00 lakhs; |
| (ट) “भारतीय रिजर्व बैंक संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एम. आई. एस. एस.)” – ₹128000.00 लाख; | (k) “Reserve Bank of India - Modified Interest Subvention Scheme (MISS)” - ₹128000.00 lakhs; |
| (ठ) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना” – | (l) “Special Component Plan for Scheduled Castes” - |
| (i) “प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना (पी. एम. एफ. बी. वाई.)” – ₹27736.00 लाख; | (i) “Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY)” - ₹27736.00 lakhs; |
| (ii) “कृषि उन्नति योजना” – ₹22565.00 लाख; | (ii) “Krishonnati Yojna” - ₹22565.00 lakhs; |
| (iii) “कृषक उत्पादक संगठनों का निर्माण और संवर्धन” – ₹1740.00 लाख; | (iii) “Formation and Promotion of Farmers Producers Organizations” - ₹1740.00 lakhs; |
| (iv) “प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पी. एम. किसान)” – ₹136000.00 लाख; | (iv) “Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)” - ₹136000.00 lakhs; |
| (v) “संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एम. आई. एस. एस.)” – ₹42000.00 लाख; | (v) “Modified Interest Subvention Scheme (MISS)” - ₹42000.00 lakhs; |

(vi) “राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” – ₹4929.50 लाख;

(vi) “Rashtriya Krishi Vikas Yojna” - ₹4929.50 lakhs;

(ड) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना” –

(m) “Tribal Area Sub-Plan” -

(i) “प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पी. एम. एफ. बी. वाई.)” – ₹14328.00 लाख;

(i) “Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY)” - ₹14328.00 lakhs;

(ii) “राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन” – ₹918.50 लाख;

(ii) “National Mission on Natural Farming” - ₹918.50 lakhs;

(iii) “कृषक उत्पादक संगठनों का निर्माण और संवर्धन” – ₹812.00 लाख;

(iii) “Formation and Promotion of Farmers Producers Organizations” - ₹812.00 lakhs;

(iv) “प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पी. एम. किसान)” – ₹80000.00 लाख;

(iv) “Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)” - ₹80000.00 lakhs;

(v) “संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एम. आई. एस. एस.)” – ₹25000.00 लाख;

(v) “Modified Interest Subvention Scheme (MISS)” - ₹25000.00 lakhs;

(vi) “कृषोन्नति योजना” – ₹35724.00 लाख; और

(vi) “Krishonnati Yojna” - ₹35724.00 lakhs; and

(vii) “राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” – ₹45000.00 लाख।

(vii) “Rashtriya Krishi Vikas Yojna” - ₹45000.00 lakhs.

उपर्युक्त छब्बीस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने, उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने और शेष राशि को अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above twenty six heads remained unutilized due to receipt of less proposals, re-appropriation of part fund/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(गा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय प्रायोजित योजनायें”-

(C) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes”-

(क) “केंद्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन” – ₹27342.62 लाख – कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित

(a) “Central Assistance/Share - National Mission on Natural Farming” - ₹27342.62 lakhs - due to receipt of less proposals and

प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण।

reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन” – ₹7016.89 लाख – राज्यों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण।

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes - National Mission on Natural Farming” - ₹7016.89 lakhs - due to receipt of less proposals from States.

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन” – ₹3608.49 लाख – राज्यों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण।

(c) “Tribal Area Sub-Plan - National Mission on Natural Farming” - ₹3608.49 lakhs - due to requirement of less funds by States.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान उनके समक्ष दर्शाए अनुसार पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा:—

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilized as shown against each: -

(का) मुख्य शीर्ष “2401” –

(A) Major Head “2401” -

(क) “बागवानी और सब्जी की फसलें – राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड” – ₹2400.00 लाख का मूल प्रवधान ₹200.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹2600.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण ₹800 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई।

(a) “Horticulture and Vegetable Crops - National Horticulture Board” - the original provision of ₹2400.00 lakhs was augmented to ₹2600.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹200.00 lakhs. However, there was a saving of ₹800.00 lakhs (including supplementary grant) - due to receipt of less proposals.

(ख) “कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी – कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी” – ₹22000.00 लाख का मूल प्रस्ताव ₹184.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹22184.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि ₹528.13 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई, और

(b) “Agricultural Economics and Statistics - Agriculture Economics and Statistics” - the original provision of ₹22000.00 lakhs was augmented to ₹22184.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹184.00 lakhs. However, there was a saving of ₹528.13 lakhs (including supplementary grant); and

(खा) मुख्य शीर्ष “2402” – “मृदा सर्वेक्षण और परीक्षण— भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण” – ₹3660.00 लाख का मूल प्रावधान ₹212.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹3872.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, ₹580.26 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई।

(B) Major Head “2402” - “Soil Survey and Testing - Soil and Land Use Survey of India” - the original provision of ₹3660.00 lakhs was augmented to ₹3872.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹212.00 lakhs. However, there was a saving of ₹580.26 lakhs (including supplementary grant).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई ।

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान उनके समक्ष दर्शाए अनुसार अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2401" - "आरक्षी निधियों/जमा लेखाओं को अंतरण - कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण" - पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹7500000.00 लाख की निधियां उपलब्ध कराई गई थी, जो, तथापि, कृषि अवसंरचना और विकास निधि को कम मात्रा में निधियां अंतरित किए जाने के कारण ₹200516.19 की सीमा तक अप्रयुक्त रही ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2416" - "आरक्षी निधियों को अंतरण- कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण" - पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹1510000.00 लाख की निधियां उपलब्ध कराई गई थीं, जो, तथापि, कार्यान्वयन कर्ता अभिकरणों से कम संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण ₹84807.41 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रही ।

(IV) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग" के अंतर्गत - ₹7364.70 लाख की बचत (₹23149.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पदों को नहीं भरे जाने, प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने, कम मात्रा में खरीद होने और मितव्ययिता उपाय किए जाने के कारण हुई ।

(V) मुख्य शीर्ष "2401" - बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुई:-

(का) "बीज - पादप किस्मों और किसानों के हितों का संरक्षण" - ₹1976.15 लाख की बचत (₹5644.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी" -

(क) "महालानोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र" - ₹30007.76 लाख की बचत (₹69720.00 लाख के

Savings under the above two heads were due to non-finalization of proposals.

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilized to the extent as shown against each: -

(A) Major Head "2401" - "Transfer to Reserve Funds/Deposit Accounts - Transfer to Agriculture Infrastructure and Development Fund" - funds of ₹7500000.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant, which however, remained unutilized to the extent of ₹200516.19 lakhs - due to less transfer of funds to Agriculture Infrastructure and Development Fund.

(B) Major Head "2416" - "Transfer to Reserve Funds - Transfer to Agriculture Infrastructure and Development Fund" - funds of ₹1510000.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant, which however, remained unutilized to the extent of ₹84807.41 lakhs - due to receipt of less claims from the implementing agencies.

(IV) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Agriculture and Farmers Welfare" - saving of ₹7364.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23149.50 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalization of proposals, less procurement and economy measures.

(V) Under Major Head "2401" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Seeds - Protection of Plant Varieties and Farmer's Rights" - saving of ₹1976.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5644.00 lakhs); and

(B) "Agricultural Economics and Statistics" -

(a) "Mahalanobis National Crop Forecasting Centre" - saving of ₹30007.76 lakhs (against

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

the sanctioned provision of ₹69720.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to non-finalization of proposals.

(ख) “कृषि जनगणना” – ₹3938.43 लाख की बचत (₹8000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) “Agriculture Census” - saving of ₹3938.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.

(गा) “तिलहनों का विकास – कृषोन्नति योजना” – ₹60355.11 लाख की बचत (₹75488.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एकल नोडीय एजेंसी के माध्यम से आयल पाम नीति का संचालन करने का निर्णय लिए जाने और पूर्ववर्ती ई. एस. सी. आर. ओ. डब्ल्यू” को समाप्त किए जाने के कारण हुई।

(C) “Development of Oil Seeds - Krishonnati Yojna” - saving of ₹60355.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹75488.00 lakhs) was due to decision of operation of Oilpalm scheme through Single Nodal Agency and discontinuation of erstwhile ESCROW mechanism.

(घा) “किसानों को आय सहायता – कल्याण योजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दालों का वितरण” – ₹35370.00 लाख की बचत (₹80000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(D) “Farmers’ Income Support - Distribution of Pulses to State/Union territories for Welfare Schemes” - saving of ₹35370.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹80000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(डा) “बागवानी और सब्जी की फसलें – कृषोन्नति योजना” – ₹3276.32 लाख की बचत (₹38747.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(E) “Horticulture and Vegetable Crops - Krishonnati Yojna” - saving of ₹3276.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹38747.00 lakhs);

(चा) “तकनीकी उन्नयन – कृषोन्नति योजना” – ₹26375.59 लाख की बचत (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹31180.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(F) “Technological Advancement - Krishonnati Yojna” - saving of ₹26375.59 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹31180.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh); and

(छा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना”-

(G) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-

(क) “प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पी. एम. किसान)” – ₹141191.54 लाख की बचत (₹882500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(a) “Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)” - saving of ₹141191.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹882500.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्यों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) “कृषोन्नति योजना” – ₹14300.49 लाख की बचत (₹0.05 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹22047.05 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एकल नोडीय एजेंसी के माध्यम से आयल पाम योजना का संचालन किए जाने का निर्णय लिए जाने और पूर्ववर्ती ई. एस. सी. आर. ओ. डब्ल्यू. तंत्र को समाप्त किए जाने और कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ग) “कृषि अवसंरचना निधि” – ₹6861.11 लाख की बचत (₹7570.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घ) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – कृषि अवसंरचना निधि” – ₹3635.78 लाख की बचत (₹3870.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें बैंकों के दावों का निपटारा नहीं हो पाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष “2416” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुई:—

(का) “भारतीय रिजर्व बैंक संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एम. आई. एस. एस.)” – ₹455458.56 लाख की बचत (₹1702000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन कर्ता अभिकरणों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एम. आई. एस. एस.)” – ₹187831.66 लाख की बचत (₹291773.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एम. आई. एस. एस.)” – ₹36517.19 लाख

Savings under the above three heads were due to receipt of less proposals from States.

(b) “Krishonnati Yojna” - saving of ₹14300.49 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹22047.05 lakhs including token supplementary grant of ₹0.05 lakh) was due to decision of operation of Oilpalm Scheme through Single Nodal Agency and discontinuation of erstwhile ESCROW mechanism and receipt of less number of proposals.

(c) “Agriculture Infrastructure Fund” - saving of ₹6861.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7570.00 lakhs); and

(H) “Tribal Area Sub-Plan - Agriculture Infrastructure Fund” - saving of ₹3635.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3870.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-settlement of claims of banks.

(VI) Under Major Head “2416” - savings occurred under the following heads: -

(A) “Reserve Bank of India - Modified Interest Subvention Scheme (MISS)” - saving of ₹455458.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1702000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the implementing agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Modified Interest Subvention Scheme (MISS)” - saving of ₹187831.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹291773.00 lakhs);

(C) “Tribal Area Sub-Plan - Modified Interest Subvention Scheme (MISS)” - saving of ₹36517.19

की बचत (₹111227.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों/आर. बी. आई. से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई ।

(VII) मुख्य शीर्ष “2435” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण” –

(क) “विपणन सुविधायें – कृषक उत्पाद संगठनों का निर्माण और संवर्धन” – ₹21551.54 लाख की बचत (₹60932.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों/कार्यान्वयन कर्ता अभिकरणों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई ।

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना”–

(i) “कृषक उत्पाद संगठनों का निर्माण और संवर्धन” – ₹12967.83 लाख की बचत (₹15660.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ii) “कृषि उन्नति योजना” – ₹5235.28 लाख की बचत (₹0.30 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹6100.30 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –

(i) “कृषक उत्पाद संगठनों का निर्माण और संवर्धन” – ₹6494.72 लाख की बचत (₹7308.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

lakhs (against the sanctioned provision of ₹111227.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from the implementing agencies/RBI.

(VII) Under Major Head “2435” - savings occurred under the following heads: -

(A) “Marketing and Quality Control” -

(a) “Marketing Facilities - Formation and Promotion of Farmers Producers Organizations” - saving of ₹21551.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹60932.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from States and implementing agencies.

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(i) “Formation and Promotion of Farmers Producers Organizations” - saving of ₹12967.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15660.00 lakhs);

(ii) “Krishonnati Yojna” - saving of ₹5235.28 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹6100.30 lakhs including token supplementary grant of ₹0.30 lakh);

(c) “Tribal Area Sub-Plan” -

(i) “Formation and Promotion of Farmers Producers Organizations” - saving of ₹6494.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7308.00 lakhs);

(ii) “कृषोन्नति योजना” – ₹3642.77 लाख की बचत (₹0.30 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4450.30 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ii) “Krishonnati Yojna” - saving of ₹3642.77 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4450.30 lakhs including token supplementary grant of ₹0.30 lakh); and

(खा) “अन्य – कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष पहल” –

(B) “Others - Special Initiatives For Development of Agriculture and Allied Sectors” -

(क) “राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन” – ₹2220.85 लाख की बचत (₹5240.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(a) “National Mission on Natural Farming” - saving of ₹2220.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5240.00 lakhs).

उपर्युक्त पाँच शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above five heads were due to receipt of less proposals.

(ख) “राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” – ₹70902.25 लाख की बचत (₹86757.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(b) “Rashtriya Krishi Vikas Yojna” - saving of ₹70902.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹86757.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from States and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(VIII) मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय प्रायोजित योजनायें – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – कृषि उन्नति योजना” के अंतर्गत ₹8741.58 लाख की बचत (₹55404.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(VIII) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes - Special Component Plan for Scheduled Castes - Krishonnati Yojna” - saving of ₹8741.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹55404.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the States.

(IX) मुख्य शीर्ष “3602” – “केंद्रीय प्रायोजित योजनायें” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुई:-

(IX) Under Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes” - savings occurred under the following heads: -

(का) “केंद्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” – ₹1785.33 लाख की बचत (₹3902.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) “Central Assistance/Share - Rashtriya Krishi Vikas Yojna” - saving of ₹1785.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3902.00 lakhs);

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना”-

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

- (क) “कृषोन्नति योजना” – ₹884.10 लाख की बचत (₹1480.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (ख) “राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” – ₹19668.92 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (गा) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना” –
- (क) “राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” – ₹9741.00 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

- (a) “Krishonnati Yojna” - saving of ₹884.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1480.00 lakhs);
- (b) “Rashtriya Krishi Vikas Yojna” - saving of ₹19668.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs); and
- (C) “Tribal Area Sub-Plan” -
- (a) “Rashtriya Krishi Vikas Yojna” - saving of ₹9741.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above four heads were due to receipt of less proposals.

- (ख) “कृषि उन्नति योजना” – ₹562.93 लाख की बचत (₹1390.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों को कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।
- (X) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹751.17 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत और 23 प्रतिशत थी।

- (b) “Krishonnati Yojna” - saving of ₹562.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1390.00 lakhs) was due to requirement of less funds by UTs.
- (X) Under two heads saving of ₹751.17 lakhs occurred each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 11 percent and 23 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹462313.38 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹537035.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (₹462313.38 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grants of ₹537035.00 lakhs under the following major heads: -

- (का) मुख्य शीर्ष “2401” –
- (क) “बीज – आई.आर.आर.आई. – दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र” – ₹499.90 लाख।
- (ख) “खाद और उर्वरक – कृषि उन्नति योजना” – ₹9650.78 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹9635.63 लाख था।

- (A) Major Head “2401” -
- (a) “Seeds - IRRI South Asia Regional Centre” - ₹499.90 lakhs.
- (b) “Manures and Fertilisers - Krishonnati Yojna” - ₹9650.78 lakhs. Actual excess, however, was ₹9635.63 lakhs.

- (ग) “पौध संरक्षण – पादप संरक्षण संगरोध और भंडारण निदेशालय” – ₹1594.20 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1228.16 लाख हुआ।
- (घ) “वाणिज्यिक फसलें – कृषि उन्नति योजना” – ₹7768.99 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹7254.88 लाख हुआ।
- (ङ) “बागवानी और सब्जियों की फसलें – राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन – मधु मिशन (एन. बी एच. एम.)” – ₹2258.90 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2248.85 लाख हुआ।
- (च) “किसानों को आय सहायता” –
- (i) “प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना (पी.एम. ए.ए.एस.एच.ए.)” – ₹157548.90 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹157547.90 लाख हुआ।
- (ii) “कृषि अवसंरचना निधि” – ₹14413.18 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹12719.97 लाख व्यय हुआ।
- (छ) “जनजातीय क्षेत्र उपयोजना – कृषोन्नति योजना” – ₹4602.09 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3730.53 लाख हुआ।
- (खा) मुख्य शीर्ष “2435” – “विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण – विपणन सुविधायें – कृषोन्नति योजना” – ₹59023.20 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹56939.71 लाख हुआ।
- (गा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें” –
- (क) “केन्द्रीय सहायता/हिस्सा” –
- (i) “कृषोन्नति योजना” – ₹21286.12 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹11419.04 लाख हुआ।
- (c) “Plant Protection - Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage” - ₹1594.20 lakhs. Actual excess, however, was ₹1228.16 lakhs.
- (d) “Commercial Crops - Krishonnati Yojna” - ₹7768.99 lakhs. Actual excess, however, was ₹7254.88 lakhs.
- (e) “Horticulture and Vegetable Crops - National Beekeeping Honey Mission (NBHM)” - ₹2258.90 lakhs Actual excess, however, was ₹2248.85 lakhs.
- (f) “Farmers’ Income Support” -
- (i) “Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM AASHA)” - ₹157548.90 lakhs. Actual excess, however, was ₹157547.90 lakhs.
- (ii) “Agriculture Infrastructure Fund” - ₹14413.18 lakhs. Actual excess, however, was ₹12719.97 lakhs.
- (g) “Tribal Area Sub-Plan - Krishonnati Yojna” - ₹4602.09 lakhs. Actual excess, however, was ₹3730.53 lakhs.
- (B) Major Head “2435” - “Marketing and Quality Control - Marketing Facilities - Krishonnati Yojna” - ₹59023.20 lakhs. Actual excess, however, was ₹56939.71 lakhs.
- (C) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” -
- (a) “Central Assistance/Share” -
- (i) “Krishonnati Yojna” - ₹21286.12 lakhs. Actual excess, however, was ₹11419.04 lakhs.

- (ii) “राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” – ₹13257.50 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹12245.07 लाख हुआ।
- (ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” – ₹4741.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3398.40 लाख हुआ।
- (ग) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –
- (i) “कृषोन्नति योजना” – ₹41239.60 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹35419.38 लाख हुआ।
- (ii) “राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” – ₹44000.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹43999.50 लाख व्यय हुआ।
- (घ) “आरक्षी निधियों/जमा लेखाओं को अंतरण – कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण” – ₹80429.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹44175.96 लाख हुआ।
- (II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं:-
- (का) मुख्य शीर्ष “2401” –
- (क) “विस्तार और कृषक प्रशिक्षण – कृषोन्नति योजना” – ₹2517.20 लाख का अधिक व्यय (₹17050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पी. एम. एफ़. बी. वाई.)” – ₹1806.58 लाख का अधिक व्यय (₹238958.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और
- (ग) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –
- (ii) “Rashtriya Krishi Vikas Yojna” - ₹13257.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹12245.07 lakhs.
- (b) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Rashtriya Krishi Vikas Yojna” - ₹4741.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3398.40 lakhs.
- (c) “Tribal Area Sub-Plan” -
- (i) “Krishonnati Yojna” - ₹41239.62 lakhs. Actual excess, however, was ₹35419.38 lakhs.
- (ii) “Rashtriya Krishi Vikas Yojna” - ₹44000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹43999.50 lakhs.
- (d) “Transfer to Reserve Funds/Deposits Account - Transfer to Agriculture Infrastructure and Development Fund” - ₹80429.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹44175.96 lakhs.
- (II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -
- (A) Major Head “2401” -
- (a) “Extension and Farmers’ Training - Krishonnati Yojna” - excess of ₹2517.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17050.00 lakhs);
- (b) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY)” - excess of ₹1806.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹238958.00 lakhs); and
- (c) “Tribal Area Sub-Plan” -

- (i) “प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पी. एम. एफ. बी. वाई.)” – ₹1936.28 लाख का अधिक व्यय (₹123798.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष “2552” से निधियों के कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग होने के कारण हुआ।

- (iii) “प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पी. एम. किसान)” – ₹122663.98 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹439621.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

- (घ) “किसानों को आय सहायता – प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पी. एम. किसान)” – ₹632883.67 लाख का अधिक व्यय (₹125717.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹4207597.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय योजना के अंतर्गत 16वीं किस्त जारी करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष “2552” से निधियों को कार्यात्मक शीर्षों को अंतरित किए जाने के कारण हुआ।

- (ङ) “फसल बीमा – प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पी. एम. एफ. बी. वाई.)” – ₹59607.34 लाख का अधिक व्यय (₹868744.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कृषि बीमा कंपनियों के टी. एस. ए. लेखाओं में निधियों को जारी किए जाने और उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष “2552” से निधियों को कार्यात्मक शीर्षों को अंतरित किए जाने के कारण हुआ।

- (i) “Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY)” - excess of ₹1936.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹123798.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

- (ii) “Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)” - excess of ₹122663.98 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹439621.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

- (d) “Farmers’ Income Support - Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)” - excess of ₹632883.67 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4207597.00 lakhs including supplementary grant of ₹125717.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards release of 16th installment under the scheme and re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

- (e) “Crop Insurance - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY)” - excess of ₹59607.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹868744.00 lakhs) was due to release of funds to TSA account of Agriculture Insurance Companies and re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

- (च) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान” – ₹952.60 लाख का अधिक व्यय (₹4592.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एफ़. ए. ओ. (खाद्य और कृषि संगठन) और यू. एन. डब्ल्यू. एफ़. पी. (यू. एन. विश्व खाद्य कार्यक्रम) अंशदान में अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।
- (ख) मुख्य शीर्ष “2416” – “आरक्षी निधियों को अंतरण – कृषि अवसंरचना और विकास निधि में निधियों का अतिरिक्त अंतरण” – ₹100000.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य राशि के प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ग) मुख्य शीर्ष “2435” – “अन्य आरक्षी निधियों को अंतरण”–
- (घ) मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय प्रायोजित योजनायें”–
- (ङ) “आरक्षी निधियों/जमा लेखाओं को अंतरण – कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण” – ₹2604.00 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान की तुलना में) हुआ।
- उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय नव सृजित निधि में राशि अंतरित किए जाने के कारण हुआ।
- (च) “International Co-operation - Contribution to International Organizations” - excess of ₹952.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4592.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards FAO (Food & Agriculture Organization) and UNWFP (UN World Food Programme) contribution.
- (B) Major Head “2416” - “Transfer to Reserve Funds - Additional Transfer to Agriculture Infrastructure and Development Fund” - excess of ₹100000.00 lakhs (against Nil provision);
- (C) Major Head “2435” - “Others - Transfer to Reserve Funds” -
- (a) “Transfer to Agriculture Infrastructure and Development Fund” - excess of ₹15302.74 lakhs (against the supplementary provision of ₹552.00 lakhs);
- (b) “Additional Transfer to Agriculture Infrastructure and Development Fund” - excess of ₹50000.00 lakhs (against Nil provision); and
- (D) Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes” -
- (a) “Transfer to Reserve Funds/Deposits Account - Transfer to Agriculture Infrastructure and Development Fund” - excess of ₹2604.00 lakhs (against the supplementary provision of ₹1.00 lakh).
- (b) “Central Assistance/Share - Krishonnati Yojna” - excess of ₹1431.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4020.00 lakhs)

Excess under the above four heads was due to transfer to the newly created fund.

बागवानी विकास मिशन (एम आई डी एच) के कार्यान्वयन के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

was due to requirement of additional funds towards release to UT of J&K for implementation of Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) scheme.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में समग्र बचतें (₹4713.69 लाख) दिसम्बर, 2023 और फरवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹4530.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक थीं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 54 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹4713.69 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹4530.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024 and constituted 54 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:—

Savings occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4401"	Major Head "4401"			
फसल कृषिकर्म पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Crop Husbandry			
मू.	O.	3702.00		
पू.	S.	2758.00	3300.00	2139.15
पु.	R.	-3160.00		-1160.85
मुख्य शीर्ष "4402"	Major Head "4402"			
मृदा और जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Soil and Water Conservation			
पू.	S.	628.00	628.00	450.84
मुख्य शीर्ष "4435"	Major Head "4435"			
अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Agricultural Programmes			
मू.	O.	150.00		
पू.	S.	347.00	447.00	350.05
पु.	R.	-50.00		-96.95

(I) मुख्य शीर्ष “4401” के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के तहत उनके समक्ष दर्शाये अनुसार पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा:-

(का) “खाद और उर्वरक – राष्ट्रीय आर्गेनिक कृषि संवर्धन परियोजना” – ₹375.00 लाख का मूल प्रावधान ₹130.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹505.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, इरकान इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड प्रयोगशालाओं के लिए प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण ₹248.03 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

(खा) “पादप संरक्षण – पादप संरक्षण संगरोध और भंडारण विभाग” – ₹900.00 लाख का मूल प्रस्ताव ₹1100.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹2000.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए संविदा को मूर्त रूप नहीं दिए जाने के कारण ₹1311.20 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई।

(गा) “कृषि अभियांत्रिकी – ट्रैक्टर प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान” – ₹1597.00 लाख का मूल प्रावधान ₹674.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹2271.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण इसमें ₹1758.75 लाख की बचत हुई।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के समक्ष दर्शायी गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष “4401” –

(क) “कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी – महालानोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र” – पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹280.00 लाख की निधियां उपलब्ध कराई गई थीं जो, तथापि, सी. पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा कम निधियों का उपयोग किए जाने और निविदा

(I) Supplementary grant obtained under Major Head “4401” remained wholly unutilized under the following heads as shown against each: -

(A) “Manures and Fertilisers - National Project on Promotion of Organic Farming” - the original provision of ₹375.00 lakhs was augmented to ₹505.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹130.00 lakhs. However, there was a saving of ₹248.03 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalization of proposals for purchase of lab equipment for Ircon Infrastructure and Services Limited Laboratories.

(B) “Plant Protection - Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage” - the original provision of ₹900.00 lakhs was augmented to ₹2000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1100.00 lakhs. However, there was a saving of ₹1311.20 lakhs (including supplementary grant) - due to non-materialization of contract for procurement of machinery & equipment.

(C) “Agricultural Engineering - Tractor Training and Testing Institutes” - the original provision of ₹1597.00 lakhs was augmented to ₹2271.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹674.00 lakhs. However, there was a saving of ₹1758.75 lakhs (including supplementary grant) - due to receipt of less proposals.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilized to the extent as shown against each: -

(A) Major Head “4401” -

(a) “Agriculture Economics and Statistics - Mahalanobis National Crop Forecasting Centre” - funds of ₹280.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant, which however, remained unutilized to the

संपन्न नहीं हो पाने के कारण ₹198.23 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

extent of ₹198.23 lakhs - due to less utilization of funds by CPWD and non-conclusion of contract.

(ख) “बागवानी और सब्जी की फसलें – निदेशालय और बागवानी विकास संस्थान” – ₹50.00 लाख का मूल प्रावधान ₹306.00 लाख क पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹356.00 लाख तक बढ़ाया गया, जो, तथापि, कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण ₹233.66 लाख तक की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) “Horticulture and Vegetable Crops - Directorates and Institute of Development of Horticulture” - the original provision of ₹50.00 lakhs was augmented to ₹356.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹306.00 lakhs, which however, remained unutilized to the extent of ₹233.66 lakhs; and

(खा) मुख्य शीर्ष “4402” – “मृदा सर्वेक्षण और परीक्षण – भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण” – पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹628.00 लाख की निधियां उपलब्ध कराई गईं जो, तथापि, ₹177.16 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(B) Major Head “4402” - “Soil Survey and Testing - Soil and Land Use Survey of India” - funds of ₹628.00 lakhs were provided by obtained supplementary provision, which however, remained unutilized to the extent of ₹177.16 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals.

(गा) मुख्य शीर्ष “4435” – “विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण – विपणन सुविधायें – विपणन और निरीक्षण निदेशालय” – ₹150.00 लाख का मूल प्रावधान ₹347.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹497.00 लाख तक बढ़ाया गया, जो, तथापि, प्रस्तावों को मूर्त रूप नहीं दिए जाने के कारण ₹146.95 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(C) Major Head “4435” - Marketing and Quality Control - Marketing Facilities - Directorate of Marketing and Inspection” - the original provision of ₹150.00 lakhs was augmented to ₹497.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹347.00 lakhs, which however, remained unutilized to the extent of ₹146.95 lakhs - due to non-materialization of proposals.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹300.07 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 92 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of ₹300.07 lakhs occurred constituting 92 percent of the sanctioned provision.